केरल राज्य और अन्य

बनाम

कंधात डिस्टलरिज

(सिविल अपील सं. 1642/2013)

22 फरवरी, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, न्यायाधिपतिगण]

शराब - आसवनी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया गया न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, आवेदन पर विचार किया गया और फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया - निचली अदालतों ने लाइसेंस देने का निर्देश देने वाले अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: नीचे की अदालतों ने गलत तरीके से परमादेश रिट जारी करके डिस्टिलरी लाइसेंस निर्देशित किया - इसका अनुदान सक्षम प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत था - न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जब तक कि आवेदक ने दूसरों पर बेहतर दावा स्थापित नहीं किया, जो आवेदक विफल रहा - अबकारी अधिनियम - धारा 14 - विदेशी शराब (मिश्रण, सम्मिश्रण, बोतलबंद) नियम, 1975 - धारा 4।

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 19(1)(जी) और अनुच्छेद 47- शराब के व्यापार व्यवसाय का मौलिक अधिकार - अभिनिर्धारित किया गया: अनुच्छेद 47 के तहत प्रदान किए गए निर्देशक सिद्धांतों के मद्देनजर, राज्य के पास पोर्टेबल शराब के संबंध में विशेष अधिकार या विशेषाधिकार है - इसलिए, एक नागरिक को एक पेय के रूप में शराब और गतिविधियाँ व्यापार या व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं है, जो अतिरिक्त व्यावसायिक हैं।

रिट-परमादेश - परमादेश की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी प्राधिकारी के खिलाफ कानूनी अधिकार स्थापित किया जाता है, जिसके पास सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन या कानून के संचालन में कानूनी कर्तव्य होता है - न्यायालय विधायी योजना को ध्यान में रखते हुए परमादेश की रिट जारी करता है, इसका उद्देश्य और उद्देश्य, विषय वस्तु, जिस बुराई का निवारण किया जाना है, राज्य का विशेष विशेषाधिकार आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था:

नीतिगत निर्णय - राज्य की शराब नीति - की न्यायिक समीक्षा - अभिनिर्धारित किया : शराब के व्यापार में एकाधिकार राज्य के पास है - राज्य के पास अपनी नीति बनाने और पुनर्निर्धारित करने, बदलने और बदलने, समायोजित करने और पुन: समायोजित करने की शक्ति है, जिसे अवैध या मनमाना घोषित नहीं किया जा सकता है न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि पहले की नीति बेहतर थी - न्यायिक समीक्षा।

वैधानिक विवेक - का प्रयोग - विवेक का प्रयोग उचित आधारों पर आधारित होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित कानून के शासन के लिए मनमानी या मनमर्जी का परित्याग नहीं किया जा सकता है - हालाँकि, भेदभाव को साबित करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर है - आबकारी अधिनियम - धारा 14 - विदेशी शराब (मिश्रण, बोतलबंद करना) नियम, 1975 – नियम 4। - भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 10 - साबित करने का दायित्व।

न्यायिक समीक्षा - विवेकाधीन निर्णय की - न्यायालय परमादेश की रिट जारी करके क़ानून के तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी के विवेक के प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकता है - रिट - परमादेश की रिट

प्रतिवादी ने एक विशेष जिले में डिस्टिलरी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए 12.1.1987 को आवेदन किया था। वर्ष 1998 और उससे पहले, आसवनी इकाइयों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार ने 4 आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किया। उनमें से दो लाइसेंस, उस जिले में इकाई की स्थापना के लिए थे, जिसके लिए प्रतिवादी ने आवेदन किया था।

प्रतिवादी ने उसके आवेदन पर विचार न किये जाने को चुनौती दी। प्रारंभ में राज्य ने प्रतिवादी को सूचित किया कि आगे लाइसेंस न देने के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, राज्य ने प्रतिवादी के आवेदन पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने उसके प्रार्थना- पत्र की अस्वीकृति को चुनौती दी । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य को प्रतिवादी द्वारा आवेदन किया गया लाइसेंस देने का निर्देश दिया। रिट अपील में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो देश के शासन में मौलिक है और राज्य के पास पेय के रूप में शराब के निर्माण, बिक्री, कब्जे, वितरण और खपत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक है। नतीजतन, यह राज्य का विशेषाधिकार है और यह राज्य को तय करना है कि क्या उसे उस विशेषाधिकार से अलग होना चाहिए, जो राज्य की शराब नीति पर निर्भर करता है। इसलिए, पोर्टेबल शराब के संबंध में राज्य के पास विशेष अधिकार या विशेषाधिकार है। इसलिए, एक नागरिक के पास पेय पदार्थ के रूप में शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और गतिविधियाँ, जो अतिरिक्त वाणिज्यिक हैं, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं की जा सकती

हैं और राज्य पोर्टेबल शराब और राज्य में व्यापार या व्यवसाय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है। ऐसी शराब के व्यापार या व्यवसाय के लिए अपना एकाधिकार भी बना सकता है। राज्य पेय पदार्थ के रूप में शराब के व्यापार या व्यवसाय पर प्रतिबंध और सीमाएं भी लगा सकता है, जो प्रतिबंध प्रकृति में वैध गतिविधियों और वस्तुओं और लेखों में व्यापार या व्यवसाय पर लगाए गए प्रतिबंधों से भिन्न होते हैं जो वाणिज्यिक हैं। [पैरा 21] [1072-जी-एच; 1073-ए-डी]

1.2. विधायिका ने, अपने विवेक से, निर्णय निर्माताओं, आयुक्त और राज्य सरकार को काफी हद तक स्वतंत्रता दी है क्योंकि उन्हें एक ऐसे लेख से निपटने की शक्ति प्रदान की गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। आबकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ-साथ नियम 4 के तहत आयुक्त और राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां प्रकृति में विवेकीय हैं। [पैरा 22 और 23] [1073-एफ-एच]

विट्ठल दत्तात्रेय कुलकर्णी और अन्य बनाम शामराव तुकाराम पावर श्रीमती और अन्य (1979) 3 एससीसी 212: 1979 (3) एससीआर 572; पी.एन. कौशल एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1978) 3 एससीसी 558: 1979 (1) एससीआर 122; कृष्ण कुमार नरूला आदि बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य एआईआर 1967 एससी 1368: 1967 एससीआर 50; नशीरवार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (1975) 1 एससीसी 29: 1975 (2) एससीआर 861; ए.पी. राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य (1996) 3 एससीसी 709: 1996 (3) एससीआर 721; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कामताका राज्य और अन्य (1995) 1 एससीसी 574: 1994 (4) पूरक एससीआर 477 - पर भरोसा व्यक्त किया।

2. राज्य की शराब नीति शराब या ऐसे अप्रिय विषयों से संबंधित क़ानून की नीति का पर्याय है या हमेशा निकटता से जुड़ी हुई है। शराब के व्यापार में एकाधिकार राज्य के पास है और यह केवल एक लाइसेंसधारी के पास शराब के निर्माण और बिक्री के

मामले में विशेषाधिकार है। न्यायालयों से यह भी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इस पर अपनी राय व्यक्त करें कि किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थिति में ऐसी कोई नीति अपनाई जानी चाहिए थी या नहीं। वर्तमान मामले में, 1998 की पॉलिसी केवल उसी वर्ष के लिए लागू थी और यदि किसी पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त हुआ, तो उस पर उसी समय फैसला सुनाया जाना था। रिट याचिका केवल वर्ष 2000 में दायर की गई थी, तब तक नीति बदल दी गई थी क्योंकि 1999 की शराब नीति पूर्ण प्रतिबंध थी, इसलिए बाद की शराब नीतियां भी। यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी न्यायालय से राज्य की नीतियों के "अज्ञात महासागर" में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। राज्य के पास नीति बनाने और पुनर्निर्धारित करने, परिवर्तन करने और पुन: परिवर्तन करने, समायोजित करने और पुनः समायोजित करने की शक्ति है, जिसे इस आधार पर अवैध या मनमाना घोषित नहीं किया जा सकता है कि पिछली नीति बेहतर थी और मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल थी। वर्ष 1998 में जो स्थिति सामने आई, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई और वर्ष 2013 में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, जब पूर्ण प्रतिबंध है। [पैरा 24] [1074-ए-ई]

महाराष्ट्र राज्य बनाम नागपुर डिस्टिलरीज (2006) 5 एससीसी 112 पर भरोसा किया गया।

3.1. विवेकाधीन शक्ति का तात्पर्य पसंद की स्वतंत्रता से है, एक सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले सकता है कि कार्य करना है या नहीं। विवेक की कानूनी अवधारणा का तात्पर्य कार्यवाही के वैकल्पिक तरीकों के बीच चयन करने की शक्ति से है। क़ानून ने आयुक्त और राज्य सरकार को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की है, लेकिन कर्तव्य के साथ विवेकाधिकार नहीं दिया है क्योंकि वे एक ऐसे विषय से निपट रहे हैं जिस पर राज्य को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 14 में क़ानून द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुमति भाषा और विदेशी शराब (मिश्रण, मिश्रण, बोतलबंद) नियम, 1975 के

नियम 4 में नियम बनाने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार और आयुक्त को लाइसेंस देने के लिए कोई अनिवार्य कर्तव्य या दायित्व नहीं देता है। सिवाय इसके कि शायद आवेदन पर विचार किया जाए, यदि शराब नीति इसकी अनुमति देती है। (पैरा 25) [1074-एफ-एच]

3.2. आयुक्त के साथ-साथ सरकार को प्रदत्त शक्तियों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक योजना के आलोक में समझा जाना चाहिए कि जो व्यापार या व्यवसाय स्वाभाविक रूप से हानिकारक है उसे हमेशा राज्य द्वारा प्रतिबंधित, कम या प्रतिबंधित किया जा सकता है, चूँकि यह राज्य का विशेष विशेषाधिकार है। इसलिए, आसवनी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आयुक्त पर कोई कर्तव्य नहीं डाला गया है और किसी भी नागरिक को अधिकार के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य हमेशा "प्रतिबंधात्मक नीति" अपना सकता है, उदाहरण के लिए, किसी विशेष जिले या किसी विशेष क्षेत्र में लाइसेंस की संख्या कम करना, या किसी विशेष जिले में कोई भी लाइसेंस प्रदान नहीं करना, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां आवेदकों ने नियमों और नीति में सभी शर्तों को पूरा किया हो लाइसेंस देने की अनुमति दी गई है। दूसरे शब्दों में, 1975 के नियमों में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि किसी आवेदक को डिस्टिलरी लाइसेंस का दावा करने का अधिकार नहीं देगी जो राज्य के विशेष विशेषाधिकार के भीतर है। [पैरा 26] [1075-बी-ई]

3.3. विवेकाधीन शक्ति, शक्ति प्राप्तकर्ता को अपने विवेक से इसका उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। वैधानिक विवेक का प्रयोग उचित आधारों पर आधारित होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित कानून के शासन के लिए मनमानी या मनमर्जी का परित्याग नहीं किया जा सकता है। यह घिसा-पिटा कानून है कि, हालांकि, किसी भी नागरिक को अधिकार के रूप में डिस्टिलरी लाइसेंस का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है और आयुक्त या राज्य सरकार को या तो आवेदन पर

विचार न करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, वे इसके द्वारा किसी रिश्ते में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मनमाने ढंग से किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनना जिसे वे पसंद करते हैं या समान रूप से सीमित व्यक्तियों के बीच भेदभाव करते हैं। ऐसी स्थिति में, यह शिकायत करने वाले पक्ष का काम है कि वह यह स्थापित करे कि समान पद वाले व्यक्तियों के खिलाफ उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है, लेकिन वह अधिकार के रूप में डिस्टिलरी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस की मांग नहीं कर सकता है। [पैरा 29] [1076-जी-एच; 1077-ए-सी]

रानी दृग राज कुएर बनाम राजा श्री अमर कृष्ण नारायण सिंह एआईआर 1960 एससी 444: 1960 एससीआर 431; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जयसवाल (1986) 4 एससीसी 566: 1987 (1) एससीआर 1 पर भरोसा किया।

3.4. प्रतिवादी केवल तभी दावा कर सकता है जब यह स्थापित हो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए भेदभाव के आधार पर संबंधित डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय अन्य दो आवेदकों को तरजीह दी गई है। प्रतिवादी ने कभी भी उन्हें दिए गए डिस्टिलरी लाइसेंस को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल इसके लिए एक और लाइसेंस के लिए प्रार्थना की है, जिसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को राज्य से संबंधित संपत्तियों या अधिकारों में व्यापार करने या व्यापार करने का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है और न ही अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हो सकता है, यदि राज्य कुछ अन्य आवेदनों के लंबित रहने के दौरान लाइसेंस देने के लिए अन्य आवेदकों को प्राथमिकता देता है, जब तक कि कोई आवेदक दूसरो से बेहतर दावा स्थापित न कर दे। [पैरा 32] [1078-बी-ई]

3.5. विधायिका जब किसी प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है, तो उसे इसका प्रयोग अपने विवेक से करना होता है, निर्णय संबंधित प्राधिकारी का होना चाहिए,

न कि न्यायालय का। न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की खूबियों में हस्तक्षेप या जांच नहीं करेगा। न्यायालय परमादेश की रिट जारी करके क़ानून के तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी के विवेक के प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकता है। परमादेश की एक रिट एक ऐसे आवेदक के पक्ष में जारी की जा सकती है जो अपने आप में एक कानूनी अधिकार स्थापित करता है और एक ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जिसका पालन करने के लिए एक कानूनी कर्तव्य है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा है और/या उपेक्षा की है, लेकिन ऐसा कानूनी कर्तव्य होना चाहिए या तो सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में या कानून के संचालन में। चूँकि आवेदित लाइसेंस देने के लिए 1975 के नियमों के नियम 4 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले आयुक्त या राज्य सरकार पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय राज्य सरकार को अपने विशेष विशेषाधिकार से अलग होने का निर्देश नहीं दे सकता है। अधिक से अधिक, यह लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दे सकता है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके निर्देश के बावजूद, आवेदन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है या मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है, तो उच्च न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शक्तिहीन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय कानून को मोड़ सकता है या तोड़ सकता है। परमादेश की रिट जारी करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपने दिमाग के पीछे विधायी योजना, इसके उद्देश्य और उद्देश्य, विषय वस्तु, निवारण की जाने वाली बुराई, राज्य के विशेष विशेषाधिकार आदि को ध्यान में रखना चाहिए और चुनोती दिये गये आदेश को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी की एक असमर्थित हठधर्मी दावा की विशिष्टताओ के बहकावे में नहीं आना चाहिये। कानून की महिमा को कानून को मोड़ने या तोड़ने से नहीं बल्कि कानून को मजबूत करने से कायम रखा जाना चाहिए। [पैरा 27][1075-एफ-एच; 1076-ए-ई]

4. मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी का आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदन को पार्टनरशिप विलेख के आधार पर किसी फर्म द्वारा लगाए गए आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो पार्टनरशिप विलेख के खंड 3 के अनुसार, बल्कि विभिन्न अन्य आधारों पर भी 10.4.1991 को अस्तित्व में आया था। राज्य सरकार ने वर्ष 1998 में मौजूद स्थितियों के संबंध में प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 12.1.1987 पर विचार किया। दिनांक 28.6.1994 के सरकारी पत्र से संकेत मिलता है कि, प्रतिवादी के अलावा, कुछ अन्य आवेदन भी वर्ष 1994 से पहले लंबित थे। इसके अलावा, वर्ष 1998 के दौरान राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में आईएमएफएल में कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए 52 आवेदन प्राप्त हुए। यह न्यायालय 1998 की पुरानी व भूली हुई शराब नीति को वर्ष 2013 में परमादेश रिट द्वारा सक्रिय नहीं कर सकता है। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आयुक्त को प्रतिवादी को डिस्टिलरी लाइसेंस देने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करते समय महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी की है। [पैरा 33 और 34] [1078-एफ-एच: 1079-ए-सी]

बिहार डिस्टिलरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1997 (1) एससीआर 680; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं अन्य बनाम के.एस. जगन्नाथन और अन्य (1986) 2 एससीसी 679: 1986 (2) एससीआर 17; हरगोविंद यादव बनाम रीवा सीधी ग्रामीण बैंक एवं अन्य (2006) 6 एससीसी 145: 2006 (2) पूरक एससीआर 116; आरबीएफ रिग कॉर्पोरेशन, मुंबई बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई (2011) 3 एससीसी 573: 2011 (2) एससीआर 691 संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ:

1997 (1) एससीआर 680 संदर्भ दिया गया पैरा 3

1986 (2) एससीआर 17 संदर्भ दिया गया पैरा 17

2006 (2) पूरक एससीआर 116 संदर्भ दिया गया पैरा 17

2011 (2) एससीआर 691 भरोसा व्यक्त किया पैरा 17

1979 (3) एससीआर 572 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

1979 (1) एससीआर 122 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

1967 एससीआर 50 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

1975 (2) एससीआर 861 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

1996 (3) एससीआर 721 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

1994 (4) पूरक एससीआर 477 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

2006 (1) पूरक एससीआर 603 भरोसा व्यक्त किया पैरा 24

1960 एससीआर 431 भरोसा व्यक्त किया पैरा 29

1987 (1) एससीआर 1 भरोसा व्यक्त किया पैरा 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1642/2013

डब्ल्यू.ए. संख्या 716/2008 में केरल उच्च न्यायालय एमाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 22.01.2009 से।

सी.एस. राजन, रमेश बाबू एम.आर., अपीलकर्ताओं के लिए

जॉर्ज पूनथोट्टम, जॉर्ज मैथ्यू, दिलीप पिल्लल, उषा नंदिनी, बीजू रमन, अजय के. जैन, एम.पी. विनोद, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय के. एस. राधाकृष्णन, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हम, इस अपील में, इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की रिट जारी कर सकता है, जिसमें राज्य विदेशी शराब (कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग) नियम, 1975 (संक्षेप में "1975 नियम") सपठित आबकारी अधिनियम की धारा 14 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत भट्टियों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के मामले में अपने विशेष विशेषाधिकार को छोड़ने का निर्देश दिया जा सकता है।

3. यहां प्रतिवादी मेसर्स कंडथ डिस्टिलरीज ने दावा किया कि उसने पलक्कड़ जिले में एक कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग यूनिट स्थापित करने के लाइसेंस के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष दिनांक 12.1.1987 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। कुछ अन्य लोगों ने भी केरल राज्य में डिस्टिलरी इकाइयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए इसी तरह के आवेदन दायर किए थे। इन सभी को नई ब्लेंडिंग और बॉटलिंग इकाइयों की स्थापना के लिए पहले भारत सरकार की मंजूरी लेने और उसके बाद राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, इस न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 322/1996 (बिहार डिस्टिलरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में अपने दिनांक 29.1.1997 के फैसले के तहत यह विचार किया कि विनिर्माण में लगे किसी भी उद्योग की स्थापना की अनुमति देने की शक्ति भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), बीयर, देशी शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों सहित पोर्टेबल शराब का अधिकार विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। इसके अलावा, यह भी माना गया कि ऐसी नशीली शराब के निर्माण, उत्पादन, बिक्री, उपभोग के परिवहन को प्रतिबंधित करने और/या विनियमित करने की शक्ति समान रूप से राज्यों की है।

4. हमने देखा है कि वर्ष 1998 के दौरान और उससे पहले, उत्पाद शुल्क आयुक्त और राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में आसवनी इकाइयों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। उत्पाद शुल्क आयुक्त या राज्य उन सभी आवेदनों पर विचार नहीं कर सकते थे और राज्य में बड़ी संख्या में आसवनी इकाइयों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं कर सकते थे। हालाँकि, राज्य सरकार ने चार आवेदनों पर अनुकूल ढंग से विचार किया और अधिनियम की धारा, 14 के तहत अपनी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 291/98/टीडी दिनांक 20.5.1998 के तहत मेसर्स अमृत डिस्टिलरीज द्वारा प्रस्तुत आवेदन की विस्तार से जांच की और उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पलक्कड़ जिले के कंजकोड गांव में आईएमएफएलएस के निर्माण के लिए एक डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। सरकार ने भी, अपने आदेश दिनांक 6.8.1998 के तहत, मेसर्स एम्पी डिस्टिलरीज, मद्रास के आवेदन की जांच की, और उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पालकाड जिले के कंजकोड गांव में एक डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के लिए मंजूरी दे दी गई। मेसर्स के.एस. डिस्टिलरीज, कन्नूर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और दिनांक 18.8.1998 के आदेश के तहत कन्नूर में स्थापित होने वाली डिस्टिलरी इकाई के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त को अनुमति दी गई। मैसर्स एलीट ग्रुप ऑफ कंपनीज के आवेदन पर भी सरकार ने अनुकूल विचार किया और त्रिचूर में डिस्टिलरी इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस जारी करने के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त को अनुमति दे दी।

5. मेसर्स कंडथ डिस्टिलरीज (प्रतिवादी) ने देखा कि पलक्कड़ जिले में इकाई स्थापित करने के लिए वर्ष 1987 में प्रस्तुत उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया था, उसने अपने आवेदन पर विचार करने के लिए 22.11.1998 को उत्पाद शुल्क मंत्री के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की साथ ही पलक्कड़ जिले में एक डिस्टिलरी इकाई स्थापित

करने के लिए लाइसेंस देने के संबंध में, हालांकि इसने पलक्कड़ जिले में इकाइयां स्थापित करने के लिए अन्य दो डिस्टिलरी लाइसेंस देने के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया था।

6. हमने देखा है कि उत्पाद शुल्क आयुक्त/राज्य सरकार को वर्ष 1998 के दौरान और उससे पहले, केरल राज्य के विभिन्न जिलों में डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना के लिए लाइसेंस के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए, सरकार ने जी.ओ. (आरटी.) संख्या 157/99/टीडी दिनांक 3.3.1999 के अनुसार, आईएमएफएल इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक जांच/चयन समिति का गठन किया। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया और जी.ओ. (आरटी.)/689/99/टीडी दिनांक 29.9.1999 के माध्यम से, राज्य के किसी भी हिस्से में डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना के लिए कोई और लाइसेंस नहीं देने का नीतिगत निर्णय लिया। यह आदेश संयुक्त उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.11.1999 द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया गया था।

7. प्रतिवादी ने उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 11.11.1999 को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के ओ.पी. संख्या 7727 /2000 को प्राथमिकता देते हुए तर्क दिया कि मेसर्स अमृत डिस्टिलरीज, बैंगलोर, मेसर्स एम्पी डिस्टिलरीज, मद्रास, मै. के.एस. डिस्टिलरी, कन्नूर और मै. एलीट ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, त्रिशूर, द्धारा वर्ष 1998 में दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ ही उसके आवेदन पर भी विचार किया जाना चाहिए था। हालाँकि, प्रतिवादी ने पलक्कड़ जिले में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को चुनौती नहीं दी, यह वही जिला है जहाँ उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने संयुक्त उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा जारी पत्र दिनांक 11.11.1999 को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को अपने निर्णय दिनांक 23.6.2004 द्वारा वर्ष 1998 में

प्रचलित स्थितियों के आलोक में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

8. उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 18.10.2004 को प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुना और राज्य सरकार के विचार प्राप्त करने के बाद, जी.ओ. (आरटी.) संख्या 689/99/टीडी दिनांक 29.9.1999 के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया। उत्पाद शुल्क आयुक्त से प्राप्त संचार से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 20.2.2005 को राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, जिसे सरकार ने अपने संचार संख्या 4493/जी3/2005/टीडी दिनांक 1.9.2005 के माध्यम से खारिज कर दिया।

9. इसके बाद प्रतिवादी ने रिट याचिका संख्या 29092 /2005 दायर करके उपरोक्त उल्लिखित आदेशों को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 25.1.2006 द्वारा उपर्युक्त आदेशों को रद्द कर दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया।

> "इसलिए, जब इस न्यायालय ने सरकार को 1998 में प्राप्त शर्तों के संदर्भ में, अबकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया, तो सरकार ने 1999 में जारी जी.ओ. के आधार पर मामले का फैसला किया। इसलिए, धारा 14 के तहत सरकार का उपरोक्त उद्धृत निर्णय टिकाऊ नहीं है। इसे घोषित किया जाता है। चूंकि प्रदर्श पी. 12 पारित हो चुका है, उपरोक्त उद्धृत संचार के आधार पर, इसे रद्द किया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने प्रदर्श पी. 13 अपील में कई तर्क उठाए, लेकिन उनमें से किसी पर भी प्रदर्श पी.14 में विचार नहीं किया गया था। तदनुसार, प्रदर्श पी 14 को भी रद्द किया जाता है। सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इसके तहत मंजूरी देने से संबंधित मामले पर आबकारी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कानून

के अनुसार प्रदर्श पी 11 निर्णय के निर्देशो के प्रकाश में और इस फैसले में निहित उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में कानून के अनुसार, इस फैसले की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर, पुनर्विचार करे ।"

10. राज्य सरकार ने, रिट याचिका संख्या 29092/2005 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, फिर से मामले पर विचार किया और यह विचार किया कि सरकार को आवेदक की "पात्रता का स्वतंत्र मूल्यांकन" लाइसेंस प्रदान करनेके लिये करना होगा। ऐसा मानते हुए, सरकार ने 16.3.2006 को एक आदेश पारित किया। आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

"जब भी, डिस्टिलरी और कंपाउंडिंग (ब्लेंडिंग और बॉटलिंग) इकाइयों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन पर अलग से कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक आवेदन में लिया गया निर्णय व्यक्तिगत आवेदन के समान तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हो सकता है और यह एक सामान्य निर्णय नहीं हो सकता है। जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है, उस अवधि के दौरान मेसर्स अमृत डिस्टिलरी, पलक्कड़, एम्पी डिस्टिलरी, पलक्कड़, एलीट डिस्टिलरी, त्रिशूर और केएस डिस्टिलरी, कन्नूर के आवेदनों पर लाइसेंस दिए गए थे। उसी समय कंडथ डिस्टिलरी, एस.आर. डिस्टिलरी, श्री चक्र डिस्टिलरी, राजधानी डिस्टिलरी आदि के आवेदन खारिज कर दिए गए थे। सरकार कई कारणों से उन सभी को विशेषाधिकार नहीं दे सकती है, जिन्होंने ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। प्रतिबंध लगाना होगा, जो संविधान के तहत स्वीकार्य है। सरकार ने प्रभाव से ऐसा किया है 29/9/99 को सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें डिस्टिलरी और कंपाउंडिंग (ब्लेंडिंग और बोल्टिंग)

यूनिट के लिए नए लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया गया। डिस्टिलरी और कंपाउंडिंग (ब्लेंडिंग और बॉटलिंग) इकाइयों के लिए लाइसेंस देना सरकार का विशेषाधिकार है, न कि याचिकाकर्ता का अधिकार। कार्यालयों से याचिकाकर्ता को दिए गए निर्देश और संचार केवल आवेदन पर कार्रवाई के लिए वैधानिक आवश्यकताएं हैं और याचिकाकर्ता पर कोई अधिकार या दावा नहीं करते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में, सरकार को आबकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए कोई कारण नहीं दिखता। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पढ़े गए 5 वें पृष्ठ के फैसले को स्थगित रखते हुए, याचिकाकर्ता के अनुरोध का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

उत्पाद शुल्क आयुक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदर्श पी 1 पर नए आदेश पारित करेंगे।"

11. प्रतिवादी ने यह देखते हुए कि सरकार ने 16.3.2006 को आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था, उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना मामला (सी) संख्या 521 /2006 दायर किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि राज्य सरकार को वर्ष 1998 में मौजूद शर्तों के आलोक में लाइसेंस के दावे पर विचार करना चाहिए था और इसे अनुमति दे सकती थी या अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन अप्रासंगिक मामलों का हवाला दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि सरकार ने ओ.पी. संख्या 29092 / 2005 में अपने पहले के फैसले में निहित निर्देशों की अनदेखी करके प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना की है और 29.6.2006 को एक आदेश पारित कर मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखा। .

12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकार के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, जो 9.8.2006 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी मांगी और प्रस्तुत किया कि 16.3.2006 का आदेश वापस ले लिया जाएगा और ओ.पी. संख्या 29092 /2005 में दिए गए निर्णय के अनुरूप नए आदेश पारित किए जाएंगे। अवमानना मामला तदनुसार 12.9.2006 को बंद कर दिया गया था।

13. सरकार ने बाद में 11.10.2006 को एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसका मुख्य भाग इस प्रकार है:

> "सरकार ने सभी उपलब्ध रिकॉर्डों के साथ मामले की विस्तार से जांच की है और केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में दायर किया है और यह पाया गया है कि साझेदारी विलेख के खंड संख्या 3 के अनुसार साझेदारी केवल 10.4.91 को अस्तित्व में आई थी। अत: प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.11.87 को साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, कथित आवेदन दिनांक 12.11.87 को राजस्व बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक XC3-32739/93 डिस. 28.6.1994 को निस्तारित किया गया था, उसके बाद यह कहा गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21-11-1998 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये उनके द्वारा 12.1.1987 को प्रस्तुत कथित आवेदन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। तर्क दिया गया है कि वर्ष 1998 में चार लाइसेंस क्रमशः 20.5.1998, 06.08.1998 और 20.09.1998 को दिए गए थे। पत्रावलियो से पता चलता है कि उपरोक्त लाइसेंस क्रमशः 1995, 1996 और 1997 के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर दिए गए थे।
>
> 3.2.1998 से 21.11.1998 तक सरकार को भारत में निर्मित विदेशी शराब की कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए 52

आवेदन प्राप्त हुए। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने पत्र संख्या XC3-15555/98 दिनांक 25.11.1998 यह रिपोर्ट दी कि आवेदन का अभूतपूर्व प्रवाह था और सरकार ने आवेदन को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जीओ (आरटी) संख्या 157/99/टीडी दिनांक 3.3.1999 के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया। 21.11.1998 को, जिस तारीख को याचिकाकर्ता ने कंपाउंडिंग ब्लेंडिंग और बॉटलिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, अन्य 52 आवेदन थे और सरकार ने उनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया है। इसके अलावा, मेसर्स नाम की साझेदारी फर्म द्वारा आवेदन डाला गया है। 12.1.1987 को कंडाथ डिस्टिलरीज को साझेदारी विलेख के आधार पर फर्म द्वारा डाले गए आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है जो साझेदारी विलेख के खंड 3 के अनुसार 10.4.1991 को अस्तित्व में आया था।

उपरोक्त परिस्थितियों में मेसर्स कंडाथ डिस्टिलरीज द्वारा 21.11.1998 को दिया गया आवेदन 21.11.1998 को उपलब्ध तथ्यात्मक शर्तों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए विचार करने योग्य नहीं है।"

14. मेसर्स कंडाथ डिस्टिलरीज ने रिट याचिका संख्या 2708 /2007 दायर करके उपरोक्त उल्लिखित आदेश को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि लाइसेंस देने से इनकार करने के लिए दिनांक 11.10.2006 के आक्षेपित आदेश में फर्म के गठन और उसके प्रभाव की तारीख के अलावा कोई अन्य कारण नहीं देखा गया था और सरकार द्वारा लाइसेंस के लिये इनकार करने के लिए कोई अन्य आधार नहीं पाया गया था। नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सरकारी आदेश दिनांक 11.10.2006 को रद्द

कर दिया और राज्य सरकार को दिनांक 12.1.1987 के आवेदन के तहत लाइसेंस देने का निर्देश दिया।

15. राज्य सरकार ने, उक्त निर्णय से व्यथित होकर, रिट अपील संख्या 716 /2008 दायर की। खंडपीठ ने महसूस किया कि राज्य सरकार ने 21.11.1998 से उत्तरदाताओं को हटाने के लिए सरलतापूर्वक एक वर्गीकरण बनाया था, राज्य की अलग नीति थी। खंडपीठ देखा कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 1987 में प्रस्तुत उसके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मामला नहीं था कि प्रतिवादी आवेदक उपयुक्त नहीं था, न ही ऐसा कोई तर्क था। पिछले मुकदमों में कभी भी लिया गया। इसके अलावा, खंडपीठ ने यह भी माना कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को बहुत पहले ही लाइसेंस दिए जा चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में, खंडपीठ ने माना कि लाइसेंस देने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए सकारात्मक निर्देश में कोई अवैधता नहीं थी, जो कानून के शासन की महिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर राज्य सरकार अपील लेकर आई है।

16. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.एस. राजन ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को डिस्टिलरी लाइसेंस देने का सकारात्मक निर्देश देने में एक गंभीर त्रुटि की है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी नागरिक को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह कि शराब के कारोबार या आवनी इकाई शुरू करने के लिये लाईसेंस देने से संबंधित मामला राज्य के विशेष क्षेत्र से है।

विद्धान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि राज्य को नीतिगत निर्णय अपनाने का अधिकार है और, निर्विवाद रूप से, तो उसे इसमें बदलाव करने, संशोधन करने या रद्द करने का भी अधिकार है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक दोषपूर्ण आवेदन था और इसलिए, सरकार द्वारा उस आवेदन पर विचार न करना उचित था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2006 में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए ठोस कारण बताए हैं और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आवेदन किए गए लाइसेंस को मंजूरी देने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करना सही नहीं था।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जॉर्ज पोनथोट्टम ने 1987 से लेकर सरकार द्वारा दिनांक 11.10.2006 को आदेश पारित करने तक मामले के पूरे इतिहास का पता लगाया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पलक्कड़ जिले में डिस्टिलरी इकाई शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए राज्य की ओर से एक ठोस प्रयास किया गया था। वहीं, वर्ष 1998 में लागू नीति के आधार पर चार लाइसेंस दिये गये और प्रतिवादी के साथ भेदभाव किया गया. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों का अनुपालन न करने पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार के सचिव ने अवमानना की है और दिनांक 11.10.2006 का आदेश पिछले आदेशों की पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं था और यह उन परिस्थितियों के तहत है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को डिस्टिलरी लाइसेंस देने का सकारात्मक निर्देश दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। विद्वान वकील ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य बनाम के. एस. जगन्नाथन और अन्य (1986) 2 एससीसी 679 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि अन्याय को रोकने के लिए, यह न्यायालय

हमेशा किसी प्राधिकारी को उचित और वैध तरीके से विवेक का पालन करने के लिए बाध्य करने का निर्देश दे सकता है। हरिगोविंद यादव बनाम रीवा सीधी ग्रामीण बैंक और अन्य (2006) 6 एससीसी 145 और आरबीएफ रिग कॉर्पोरेशन, मुंबई बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई (2011) 3 एससीसी 573 में इस न्यायालय निर्णयो के फैसले का भी हवाला दिया गया और प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित मामलों में, यह न्यायालय हमेशा राहत दे सकता है।

18. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने से पहले, हम अधिनियम की योजना के साथ-साथ 1975 के नियमों की भी जांच कर सकते हैं। यह अधिनियम केरल राज्य में नशीली शराब और नशीली दवाओं के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 14 डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, गोदामों आदि की स्थापना और नियंत्रण से संबंधित है, जो आयुक्त को सार्वजनिक डिस्टिलरी, ब्रेवरीज या वाइनरी या निजी डिस्टिलरीज़, ब्रेवरीज, वाइनरीज़ या अन्य कारख़ाना जिनमें शराब का निर्माण किया जा सकता है को स्थापित करने या प्रतिष्ठान को अधिकृत करने के लिए सरकार की पिछली मंजूरी के साथ लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। आसान संदर्भ के लिए धारा 14 नीचे दी गई है:

> "14. आसवनी, ब्रेवरीज, गोदामों आदि की स्थापना और नियंत्रण - आयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से, -
>
> (ए) सार्वजनिक डिस्टिलरीज, ब्रुअरीज या वाइनरी स्थापित करें, या निजी आसवनी, ब्रेवरीज, वाइनरी या अन्य कारख़ाना की स्थापना को अधिकृत करें जिसमें इस अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत शराब का निर्माण किया जा सकता है।
>
> XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

19. राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 29 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1975 के नियम बनाये। नियम 3 लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो विदेशी शराब की मिश्रण, सम्मिश्रण और बोतलबंदी का संचालन करना चाहता है, उसे आयुक्त को लिखित रूप से आवेदन करना होगा और और नियम के तहत आवश्यक आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। आसान संदर्भ के लिए नियम 3 नीचे दिया गया है:

> 3. लाइसेंस के लिए आवेदन.- कोई भी व्यक्ति जो विदेशी शराब की मिश्रण, सम्मिश्रण और बोतलबंदी का कार्य करना चाहता है, उसे आयुक्त को लिखित रूप में आवेदन करना होगा। लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन में उस ऑपरेशन का विवरण दिया जाएगा जिसे वह निष्पादित करना चाहता है और उसके साथ होना चाहिए -
>
> (i) उस भवन का विवरण और योजना जिसमें परिचालन को ट्रेसिंग कपड़े में पैमाने पर खींचकर तीन प्रतियों में किया जाना है;
>
> (ii) स्थायी उपकरण, यदि कोई हो, की संख्या, आकार और विवरण निर्दिष्ट करने वाला विवरण, जिनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है;
>
> (iii) स्टोर में या कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग या बोतलबंद करने की प्रक्रिया में प्रूफ़ लीटर में स्पिरिट की अधिकतम मात्रा के बारे में विवरण; और
>
> (iv) एक सौ रुपये की बयाना राशि जमा करने के लिए राजकोषीय रसीद।"

नियम 4 लाइसेंस देने और नवीनीकरण से संबंधित है, जो आयुक्त को आवेदित लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। नियम 4 इस प्रकार है:

"4. लाइसेंस प्रदान करना और नवीनीकरण करना।- (1) आयुक्त, यदि वह ऐसी पूछताछ करने के बाद संतुष्ट हो जाता है जिसे वह आवश्यक समझता है कि आवेदक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लाइसेंस जारी किया जा सकता है, तो आवेदक को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।-

(i) 2,00,000 रुपये (केवल दो लाख रुपये) के शुल्क के भुगतान पर फॉर्म 1 में मिश्रण और सम्मिश्रण लाइसेंस; और

(i i) रूपये 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) के शुल्क के भुगतान पर फॉर्म 2 में एक बोतलबंद लाइसेंस।

(2) आयुक्त योजना के विवरण की मूल प्रति अपने पास रखेगा और सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त के माध्यम से प्रभारी अधिकारी को एक प्रति अग्रेषित करेगा और तीन प्रतियाँ लाइसेंसधारी को लौटा देगा।

(3) बयाना राशि को लाइसेंस की फीस में समायोजित किया जाएगा। यदि आवेदन किया गया लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तो आवेदक को 100 रुपये की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी।

(4) आयुक्त इस संबंध में किए गए आवेदन पर और नियमों में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस नवीनीकृत कर सकता है।

(जोर दिया गया)

नियम 5 उस भवन के संबंध में संतुष्ट होने वाली आवश्यकताओं से संबंधित है जिसमें कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग संचालन किया जाना है। विदेशी शराब की

कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग का लाइसेंस फॉर्म नंबर 1 में जारी किया जाता है और विदेशी शराब की बोतलबंद करने का लाइसेंस फॉर्म नंबर 2 में जारी किया जाता है।

20. हम, उपर्युक्त प्रावधानों के दायरे और क्षेत्राधिकार की प्रकृति या आयुक्त और राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की जांच करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के आलोक में अधिनियम के सामान्य उद्देश्य की जांच कर सकते हैं।

<u>शराब का व्यापार या व्यवसाय जारी रखने का अधिकार</u>

21. अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो देश के शासन में मौलिक है और राज्य को पेय के रूप में शराब के निर्माण, बिक्री, कब्जे, वितरण और खपत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की शक्ति है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है । नतीजतन, यह राज्य का विशेषाधिकार है और यह राज्य को तय करना है कि उसे उस विशेषाधिकार से अलग होना चाहिए या नहीं, जो राज्य की शराब नीति पर निर्भर करता है। इसलिए, पोर्टेबल शराब के संबंध में राज्य के पास विशेष अधिकार या विशेषाधिकार है। इसलिए, एक नागरिक के पास पेय पदार्थ के रूप में शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और गतिविधियाँ, जो अतिरिक्त वाणिज्यिक हैं, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं की जा सकती हैं और राज्य पोर्टेबल शराब और राज्य में व्यापार या व्यवसाय को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकता है। ऐसी शराब के व्यापार या व्यवसाय के लिए अपना एकाधिकार भी बना सकता है। यह कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। राज्य पेय पदार्थ के रूप में शराब के व्यापार या व्यवसाय पर प्रतिबंध और सीमाएं भी लगा सकता है, जो प्रतिबंध प्रकृति में वैध गतिविधियों और वस्तुओं और लेखों में व्यापार या व्यवसाय पर लगाए गए प्रतिबंधों से भिन्न होते हैं जो वाणिज्यिक हैं। विट्ठल दत्तात्रय कुलकर्णी और अन्य बनाम शामराव तुकाराम पावर एसएमटी और अन्य (1979) 3 एससीसी 212, पी.एन.

कौशल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1978) 3 एससीसी 558, कृष्ण कुमार नरूला आदि बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य एआईआर 1967 एससी 1368, नशीरवार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1975) 1 एससीसी 29, एपी राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य (1996) 3 एससीसी 709 और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कामताका राज्य और अन्य (1995) 1 एससीसी 574 के मामलो में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

22. विधायिका ने, अपने विवेक से, निर्णय निर्माताओं, आयुक्त और राज्य सरकार को काफी हद तक स्वतंत्रता दी है क्योंकि उन्हें एक ऐसे लेख से निपटने की शक्ति प्रदान की गई है जो स्वाभाविक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

23. अधिनियम की धारा 14 इंगित करती है कि आयुक्त केवल राज्य सरकार की मंजूरी से लाइसेंस देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्योंकि राज्य को शराब से निपटने में विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। धारा 14 के साथ-साथ नियम 4 के तहत आयुक्त और राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां प्रकृति में विवेकाधीन हैं, जो उनमें प्रयुक्त अनुमेय भाषा से समझ में आती हैं।

<u>शराब नीति:</u>

24. राज्य की शराब नीति शराब या ऐसे अप्रिय विषयों से संबंधित क़ानून की नीति का पर्याय है या हमेशा निकटता से जुड़ी हुई है। शराब के व्यापार में एकाधिकार राज्य के पास है और यह केवल शराब के निर्माण और बिक्री के मामले में एक लाइसेंसधारी के पास विशेषाधिकार है, जैसा कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम नागपुर डिस्टिलरीज (2006) 5 एससीसी 112 में माना था। न्यायालयों से यह भी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इस बारे में अपनी राय व्यक्त करें कि किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थिति में ऐसी कोई नीति अपनाई जानी चाहिए थी या नहीं। 1998 की नीति

केवल उसी वर्ष के लिए मान्य है और यदि किसी पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, तो उसका निर्णय उसी वर्ष किया जाना चाहिए। रिट याचिका केवल वर्ष 2000 में दायर की गई थी, तब तक नीति बदल दी गई थी क्योंकि 1999 की शराब नीति पूर्ण प्रतिबंध थी, इसलिए बाद की शराब नीतियां भी। यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी न्यायालय से राज्य की नीतियों के "अज्ञात महासागर" में जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। राज्य के पास नीति बनाने और पुनर्निर्धारित करने, परिवर्तन करने और पुन: परिवर्तन करने, समायोजित करने और पुनः समायोजित करने की शक्ति है, जिसे इस आधार पर अवैध या मनमाना घोषित नहीं किया जा सकता है कि पिछली नीति बेहतर थी और मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल थी। वर्ष 1998 में जो स्थिति सामने आई, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई और वर्ष 2013 में, जब पूर्ण प्रतिबंध है, संशोधित नहीं किया जा सकता है।

<u>विवेक और कर्तव्य:</u>

25. विवेकाधीन शक्ति का तात्पर्य पसंद की स्वतंत्रता से है, एक सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले सकता है कि कार्य करना है या नहीं। विवेक की कानूनी अवधारणा का तात्पर्य कार्रवाई के वैकल्पिक तरीकों (विवेकाधीन न्यायमूर्ति डेविस 1969) के बीच चयन करने की शक्ति से है। क़ानून ने आयुक्त और राज्य सरकार को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की है, लेकिन कर्तव्य के साथ विवेकाधिकार नहीं दिया है क्योंकि वे एक ऐसे विषय से निपट रहे हैं जिस पर राज्य को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। धारा 14 में क़ानून द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुमति भाषा और नियम 4 में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार और आयुक्त को लाइसेंस देने के लिए कोई अनिवार्य कर्तव्य या दायित्व नहीं देता है, सिवाय इसके कि शायद आवेदन पर विचार करने के लिए, यदि शराब नीति इसकी अनुमति देती है।

26. धारा 14 में "आयुक्त कर सकता है", "सरकार की मंजूरी के साथ" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, उसी प्रकार नियम 4 में "आयुक्त कर सकता है", "यदि वह संतुष्ट

है" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, ऐसी पूछताछ करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझता है "लाइसेंस दे सकता है" निर्गत कीजिए"। धारा 14 और नियम 4 में प्रयुक्त वे सभी अभिव्यक्तियाँ आयुक्त के साथ-साथ राज्य सरकार को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती हैं, न कि कर्तव्य के साथ विवेकाधीन शक्ति। आयुक्त के साथ-साथ सरकार को प्रदत्त शक्तियों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक योजना के आलोक में समझा जाना चाहिए कि जो व्यापार या व्यवसाय स्वाभाविक रूप से हानिकारक है उसे हमेशा राज्य द्वारा प्रतिबंधित, कम या प्रतिबंधित किया जा सकता है। चूँकि यह राज्य का विशेष विशेषाधिकार है। इसलिए, आसवनी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आयुक्त पर कोई कर्तव्य नहीं डाला गया है और किसी भी नागरिक को अधिकार के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य हमेशा "प्रतिबंधात्मक नीति" अपना सकता है, उदाहरण के लिए, किसी विशेष जिले या किसी विशेष क्षेत्र में लाइसेंस की संख्या कम करना, या किसी विशेष जिले में कोई भी लाइसेंस नहीं देना, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां आवेदकों ने सभी शर्तों को पूरा किया हो नियमों में निर्धारित है और नीति लाइसेंस देने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, 1975 के नियमों में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि किसी आवेदक को डिस्टिलरी लाइसेंस का दावा करने का अधिकार नहीं देगी जो राज्य के विशेष विशेषाधिकार के भीतर है।

परमादेश - लाइसेंस जारी करने को

27. विधायिका जब किसी प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है, तो उसे इसका प्रयोग अपने विवेक से करना होता है, निर्णय संबंधित प्राधिकारी का होना चाहिए, न कि न्यायालय का। न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की खूबियों में हस्तक्षेप या जांच नहीं करेगा। न्यायालय परमादेश की रिट जारी करके क़ानून के तहत कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी के विवेक के प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकता है। परमादेश की एक रिट उस आवेदक के पक्ष में जारी

की जा सकती है जो अपने आप में एक कानूनी अधिकार स्थापित करता है और एक प्राधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जिसके पास पालन करने के लिए कानूनी कर्तव्य है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा और/या उपेक्षित रहा, लेकिन ऐसा कानूनी कर्तव्य या तो सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन या कानून के संचालन से उत्पन्न होना चाहिए। हमने पाया है कि आवेदित लाइसेंस देने के लिए 1975 के नियमों के नियम 4 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले आयुक्त या राज्य सरकार पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय राज्य सरकार को अपने विशेष विशेषाधिकार से अलग होने का निर्देश नहीं दे सकता। अधिक से अधिक, यह लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दे सकता है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके निर्देश के बावजूद, आवेदन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है या मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है, तो उच्च न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शक्तिहीन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय कानून को मोड़ सकता है या तोड़ सकता है। शराब का लाइसेंस देना कैब चलाने या वाहन पार्क करने के लिए लाइसेंस देने या किराना या फल की दुकान स्थापित करने के लिए नगरपालिका लाइसेंस जारी करने जैसा नहीं है। परमादेश की रिट जारी करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपने दिमाग के पीछे विधायी योजना, इसके उद्देश्य और उद्देश्य, विषय वस्तु, निवारण की जाने वाली बुराई, राज्य के विशेष विशेषाधिकार आदि को ध्यान में रखना चाहिए और चुनोती दिये गये आदेश को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी की एक असमर्थित हठधर्मी दावा की विशिष्टताओ के बहकावे में नहीं आना चाहिये। कानून की महिमा को कानून को मोड़ने या तोड़ने से नहीं बल्कि कानून को मजबूत करने से कायम रखा जाना चाहिए।

28. प्रतिवादी-आवेदक, वर्तमान मामले में, हमारे विचार में, कानूनी अधिकार स्थापित करने या यह दिखाने में विफल रहा है कि आसवनी लाइसेंस जारी करने के लिए आयुक्त या सरकार पर कानूनी कर्तव्य है।

<u>विवेकाधीन आदेश - अनुच्छेद 14</u>

29. विवेकाधीन शक्ति, शक्ति प्राप्तकर्ता को अपने विवेक से इसका उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। (रानी दृग राज कुएर बनाम राजा श्री अमर कृष्ण नारायण सिंह एआईआर 1960 एससी 444 –संदर्भ दिया गया)। कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक विवेक का प्रयोग उचित आधार पर होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित कानून के शासन के लिए मनमानी या मनमर्जी का उल्लंघन नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी भी नागरिक को डिस्टिलरी लाइसेंस का दावा अधिकार के तौर परी करने का कानूनी अधिकार नहीं है और आयुक्त या राज्य सरकार को या तो आवेदन पर विचार न करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, वे मनमाने ढंग से किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनकर संबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जिसे वे पसंद करते हैं या समान रूप से सीमित व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। राज्य सरकार, जब दूसरों को अधिकार या विशेषाधिकार देने का निर्णय लेती है, तो निश्चित रूप से, अनुच्छेद 14 की कठोरता से बच नहीं सकती है, इस अर्थ में कि वह मनमाने ढंग से कार्य कर सकती है। ऐसी स्थिति में, यह शिकायत करने वाले पक्ष का काम है कि वह यह स्थापित करे कि समान पद वाले व्यक्तियों के खिलाफ उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है, लेकिन वह अधिकार के रूप में डिस्टिलरी इकाई स्थापित करने के लिए लाइसेंस की मांग नहीं कर सकता है।

30. मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जयसवाल (1988) 4 एससीसी 566 में, इस न्यायालय ने माना कि कोई भी राज्य के खिलाफ शराब में व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और राज्य को इसके साथ भाग लेने के लिए

मजबूर नहीं किया जा सकता है। शराब बनाने और बेचने का विशेष विशेषाधिकार या अधिकार। लेकिन, जब राज्य दूसरों को ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार देने का निर्णय लेता है तो राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 की कठोरता से बच नहीं सकता है, वह मनमाने ढंग से या अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता है।

31. हमने देखा है कि वर्ष 1987 में मेसर्स कंडाथ डिस्टिलरीज (यहां प्रतिवादी) द्वारा पसंदीदा आवेदन पलक्कड़ जिले में एक डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए था। इसी तरह मेसर्स अमृत डिस्टिलरीज, बेंगलुरु और मेसर्स द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। मैसर्स एम्पी डिस्टिलरीज, मद्रास और पलक्कड़ जिले में डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना के लिए उन्हें लाइसेंस दिए गए थे। हालाँकि, प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। आयुक्त या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन में उसकी पात्रता के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना होता है और कोई सामान्य निर्णय नहीं हो सकता है। जैसा कि नंदलाल जयसवाल (उपरोक्त) में कहा गया है कि जब राज्य सरकार नए उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस दे रही है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे उद्योग लगाने के लिए विज्ञापन दे और प्रस्ताव आमंत्रित करे। राज्य सरकार उन लोगों से बातचीत करने की हकदार है जो ऐसे उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राज्य सरकार उन सभी को विशेषाधिकार नहीं दे सकती जिन्होंने कई कारणों से किसी विशेष जिले में ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार किसी विशेष जिले में डिस्टिलरी लाइसेंस की संख्या को दो तक सीमित कर सकती है और वह किसी विशेष जिले में तीसरा लाइसेंस भी दे सकती है, लेकिन कोई आवेदक अधिकार के रूप में लाइसेंस का दावा नहीं कर सकता है।

32. हमारे विचार में, प्रतिवादी केवल तभी दावा कर सकता है जब यह स्थापित हो कि मेसर्स अमृत डिस्टिलरीज, बैंगलोर और मेसर्स एम्पी डिस्टिलरीज, मद्रास के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुये भेदभाव के आधार पर पलक्कड़ जिले में

संबंधित डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय, अधिमान्य व्यवहार किया गया है। प्रतिवादी ने कभी भी उन्हें दिए गए डिस्टिलरी लाइसेंस को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल इसके लिए एक और लाइसेंस के लिए प्रार्थना की है, जिसे हमारे विचार में, अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को राज्य से संबंधित संपत्तियों या अधिकारों में व्यापार करने या व्यापार करने का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है और न ही अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हो सकता है, यदि राज्य कुछ अन्य आवेदनों के लंबित रहने के दौरान लाइसेंस देने के लिए अन्य आवेदकों को प्राथमिकता देता है, जब तक कि कोई आवेदक दूसरों पर बेहतर दावा स्थापित नहीं करता।

33. हमने सरकारी आदेश दिनांक 11.10.2006 को विस्तार से पढ़ा है और हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्रतिवादी का आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दिनांक 12.1.1987 के प्रार्थना-पत्र को फर्म के द्वारा समझौता विलेख के आधार पर आगे बढ़ाए गए प्रार्थना-पत्र आवेदन के रूप में, जो कि 10.4.1991 को अस्तित्व में आई, साझेदारी विलेख के खंड 3 के अनुसार लेकिन विभिन्न अन्य आधारों पर भी, नहीं माना। हमारे विचार में, राज्य सरकार ने वर्ष 1998 में मौजूद स्थितियों के संबंध में प्रतिवादी के दिनांक 12.1.1987 के आवेदन पर विचार किया है। दिनांक 28.6.1994 के सरकारी पत्र से संकेत मिलता है कि, प्रतिवादी के अलावा कुछ अन्य आवेदन भी लंबित थे। वर्ष 1994 से पहले और उससे ऊपर, वर्ष 1998 में 3.2.1998 से 21.11.1998 के दौरान राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न भागो में आईएमएफ में कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग और बॉटलिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 52 आवेदन प्राप्त हुए थे। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 25.11.1998 के माध्यम से बताया था कि आवेदनों का एक अभूतपूर्व प्रवाह था, यानी 'वर्ष 1998 में प्रचलित स्थिति थी, एक कारक जिस पर ध्यान दिया गया था कि प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया गया था, चाहे वह 12.1.1987 को या

22.11.1998 को प्रस्तुत किया गया हो। हम किसी भी तरह से 1998 की एक पुरानी, पुरानी, भूली हुई शराब नीति को वर्ष 2013 में परमादेश रिट द्वारा सक्रिय नहीं कर सकते।

34. इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार/आयुक्त को प्रतिवादी को डिस्टिलरी लाइसेंस देने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करते समय उन महत्वपूर्ण कारकों को नजरअंदाज कर दिया है। पलक्कड़ जिले में एक नई डिस्टिलरी की स्थापना, यह सोचते हुए कि विवादित आदेश नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि 1998 के बाद राज्य सरकार/आयुक्त द्वारा राज्य में कहीं भी आसवनी इकाइयां स्थापित करने के लिए एक भी लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है। यह तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति होने के नाते, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी को डिस्टिलरी लाइसेंस जारी करने का निर्देश देने वाला परमादेश रिट जारी करना उचित नहीं ठहराया था।

35. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करने और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पुष्टि करने के इच्छुक हैं। तदनुसार आदेश दिया गया। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

के.के.टी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।